2020/0

न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हॅसमख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 121/2020

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
श्रीमती पटु पत्नि श्री चुनाजी जाति मेघवाल निवासी हालीवाडा तहसील व जिला सिरोही		स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थीया स्वंय

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने हेतु

निर्णय

दिनांक 10–11–2020

प्रार्थीया ने प्रार्थनापत्र आज दिनांक 10–11–2020 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी क नाम से कृषि आराजी मौजा हालीवाडा पटवार हल्का हालीवाडा तहसील सिरोही के खसरा नंबर 307 रकबा 3.2400 हैक्टेयर आयी हुई है जिसमे प्रार्थीया का नाम शान्ताबेन पत्नि सोनाजी मेघवाल दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम पटु पत्नि चुनाजी है तथा उक्त प्रार्थीया के सही नाम से आधार कार्ड नंबर सं. 3305 6655 9823 जारी शुदा है जिसमे भी प्रार्थीया का सही नाम पटु पत्नि चुनाजी दर्ज है एवं प्रार्थीया के नाम से जारी अन्य दस्तावेजात वोटर कार्ड ,राशनकार्ड ,भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड आदि मे भी प्रार्थीया का नाम पटु पत्नि चुनाजी दर्ज होना बताया है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थनापत्र के सर्मथन मे मौजा हालीवाडा तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071–2075 खाता संख्या 257 खसरा नंबर 307 रकबा 3.2400 हैक्टेयर तथा विक्रय विलेख दिनांक 12–10–2006 की प्रति व आधार कार्ड की प्रति भी पेश की है।

हमने प्रार्थीया के उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न उक्त वर्णित दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । हम प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ । हमने प्रकरण के विवेचनके उपरान्त यह पाया कि प्रार्थीया के वोटर कार्ड ,राशनकार्ड ,भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड आदि मे प्रार्थीया का सही नाम पटुदेवी पत्नि स्व. चुनाराम दर्ज है। प्रार्थीया का उक्त वर्णित कृषि आराजी की जमाबंदी संवत 2071–2075 खाता संख्या 257 मे भूलवश प्रार्थीया का सही नाम पटुदेवी पत्नि चुनाराम की जगह शान्ताबेन पत्नि सोनाजी अंकित हो गया । प्रार्थीया के उक्त नाम की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि व सद्भाविक त्रुटि की परिभाषा मे आने से प्रार्थीया के नाम की दुरूस्ती न्यायहित मे करना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीया को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान व कानूनी उलझनें पैदा होने की संभावना है तथा प्रार्थीया राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित भी हो सकती है।

अतः उपरोक्त सभी आधारो पर प्रार्थीया का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा हालीवाडा तहसील सिरोही के खसरा नंबर 307 रकबा 3.2400 हैक्टेयर की वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थीया के दर्ज ग... शान्ताबेना पत्नि सोनाजी की जगह सही नाम शान्ताबेन उर्फ पटु देवी प... दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना इस न्यायालय को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था क...

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:52 IST
Reason: SelfAttested

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही

प्रतिलिपि :–
तहसीलदार (भूमिधारी) सिरोही को पालनार्थ प्रेषित है।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही